21.04.2025 फाइलों पेश हुई। आपत्ति कमलेश कुमार
वकील अन्तिम आपत्ति कमलेश कुमार
आपत्तिकर्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के
तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में
निवेदन किया कि मौजा सेंड़या के पुराने
प्लाट संख्या 375 रकबा 24 बिस्वा 10 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही अत्र इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आदेशका जो मूल हुक्म की तारीख में जारी हुए।

प्रथम तर्फ से वकील खातेदारी खुशहाली
वहर खेमा के नाम है यही इनके मौत
होने पर खातेदारी इनके पुत्रों के नाम
दर्ज हुई लिखे जाने सर्वे के दौरान
नये खितियें नंबर - 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 190 है रकबा क्रमशः
0.03, 0.58, 0.03, 0.52, 0.03, 1.33,
0.03, 1.47 कुमले रकबा 3.97 हैक्टेयर
भूमि है जो वादग्रस्त भूमि है जिसे
वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जावे।
उक्त वादग्रस्त भूमि में से खितिय सर्वे
के कुल आदाजी में 1/6 हिस्सा कुल
आदाजी की दक्षिण की तरफ अप्रार्थीगण
को बैयाना दिया था तथा बैयाना के
अनुसार व साईट नजरी नक्शा बैयाना
का गई 0.66 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा
अप्रार्थीगण संख्या - 1 लगायत 6 को सुपुर्द
कर दिया जो मौके पर उसी अनुसार आज
दी जाबिते काइम है अलग से कैं,
बंदोबस्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4
की खित खिंगाई 8-4 माह से जबाब
है वह हमारे खातेदारी का अलग से
आया हुआ खाता नं. 190 हाल वेस
चालता है जबकि खसरा संख्या 189
अप्रार्थीगण की खेती है इनके जाप हो

महाराज कलेक्टर सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2025.05.01 17:54:46 IST
Reason: SetAttribute

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अगर प्रतिनिधित्व नहीं	

इनके खातेदारी का 0.66 हैक्टेयर भूमि
में पक्के आम के पेड़ लगे हुये खसरा नंबर
1 लगभग 9 से इस खसरा नंबर
190 की खातेदारी भाग की 0.66 हैक्टेयर
भूमि कोलम की पश्चिम दिशा की ओर
लगे कर की ओर पर प्रार्थिका द्वारा
किया जाकर आवेदिका के 1 लगभग
से लगाए हुए पेड़ से लगाए पक्के
की पटरीयों रोपकर तारबंदी कर रही थी
तथा न ही इन पेड़ को काटने दे रही
है तथा काटने में धमकी दे रही
रहे की खातेदारी होने से खसरा नंबर 190
का हिस्सा खातेदारी के साथ मिलाने देना चाहिये
जिससे आवेदिका के बोलने रहेंगे जिससे
हमें आदी आदमी व आर्थिक नुकसान
होना निश्चित आवेदन कथनों-पीनों से
नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना
प्रार्थिका द्वारा की तीन सुलझाव कार्यवाही
इनके पक्ष में हुकम आवेदन प्रतिपक्ष के
लिये की अंतरिम आदेश दे जिसे पर
और विधि बाधे तो कृपा तीनों आवेदन-
पत्र के आधार जिसे अंतरिम दे पक्ष
में के पक्ष, पक्षेतर व दि कार्यवाही लंबित

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:04:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही अजः इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

1. अगामी 4 को पार्टी लिए नोटिस वास्ते वादग्रस्त आदानी के अपने अंश के न्यायार्थ आदि 0.66 हिस्से के जायदाद झूमि के काश्त न करने व शेष झूमि हमारे पुनरभोग के दखलंदाजी न तो स्वेच्छ करें एवं न ही अन्य किसी से करावें। इस आशय की समाई डिक्री जारी फरमावें। आधिकतम अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी कहन में निवेदन किया कि वादग्रस्त झूमि अप्रार्थीगण की खरीदशुदा, कब्जाशुदा खातेदारी की आई हुई है मौके पर आहे काबिज है हमारे कैल, टिल्ले में पक्के कुंए, बगीचा लिए है जो कि 190 का रकबा 0.66 हेक्टेयर ही है जबकि जमाबंदी में ज्यादा दर्ज का लिया है जिस पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है जिसके उपरान्त दुरुस्त मामला सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी, तीसरे विरुद्ध अप्रार्थीगण के पक्ष के होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने आधिकतम उपखण्ड की बहस सुनी गई एवं इस पर मनन किया

(Phool)
सहायक कलेक्टर, सांगोद
(उपखण्ड अधिकारी, सांगोद)

Signature Not Verified
Digitally signed by Phool Kumar
Date: 2025.05.01 12:40:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

गया। अभियोजन एवं इस पर प्रस्तुत दस्तावेजात की अली-प्रोति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त याचिकाकर्ता आरोपी शामलाती हैं तथा अपने-अपने कब्जे काश्त में काबिज हैं अतः उक्त याचिकाकर्ता आरोपी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए तमाम पक्षकारान को आदाम अदालत, जबलपुर कोर्ट, ट्रेक एवं निकटतम थानेदार के लाभ हेतु पेशित रहना पड़ेगा। उभय पक्ष उक्त खातेदारी एवं खातेदारी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से आवेदन निरस्त जारी किया जाना उचित नहीं समझता हूँ।

अतः उभयपक्ष विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र नहीं के आदेशित खारिज किया जाता है।

आदेश पत्रावली पेशकार हुआ। केस नंबर के रूप में कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 12:44:46 IST
Reason: SelfAttested